[2020] 4 एस. सी. आर 903

भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.)

वी.

भारत का संघ

(2020 की सिविल अपील संख्या 1510)

06 मार्च, 2020

[एल. नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता, जेजे।]

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010: इसका उद्देश्य

अधिनियम-आयोजितः इसे विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करने के लिए बनाया गया है

विदेशी या विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग

कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा आतिथ्य और विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करना या

राष्ट्रीय के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी आतिथ्य

ब्याज और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010: एसएस। 5 (1) और

केंद्र सरकार पर एक संगठन को एक संगठन घोषित करने के लिए राजनीतिक प्रकृति का संगठन यू / अधिनियम की धारा 5 (1) को चुनौती दी गई थी

अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर कि कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं

ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए - अधिनियम की धारा 5 (4) पर इस आधार पर हमला किया गया था कि जिस प्राधिकरण को पीड़ित पक्ष द्वारा किया गया अभ्यावेदन भेजा जाना है, उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

-

आयोजित किया गयाः एस. 5 (1) अस्पष्टता के आमंत्रण से पीड़ित नहीं है

कला का क्रोध। 14 – धारा 5 (4) को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। केवल इस आधार पर कि प्राधिकरण जिसे प्रतिनिधित्व करता है

बनाया जाना चाहिए निर्दिष्ट नहीं है-भारत का संविधान-कला। 14 , 19 (1) (ए), 19 (1) (सी) और 21।

विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011: आरआर। 3 (i), 3 (v)

और 3 (vi)-अपीलार्थी के अनुसार-की संवैधानिक वैधता,

आर में दिए गए दिशानिर्देश। 3 नियमों में से कुछ अनिवार्य रूप से व्यापक हैं, जो अधिकारियों को मनमाना विवेकाधिकार देते हैं जिसके परिणामस्वरूप शक्ति का दुरुपयोग होगा-रिट याचिका में आरोप लगाया गया था कि

नियम अनुचितता और मनमानेपन से ग्रस्त हैं-- अपीलार्थी

आरआर घोषित करने के लिए प्रार्थना की। 3 (i), 3 (v) और 3 (vi) कला में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में। 14 , 19 (1) (संविधान के क), 19 (1) (ग) और 21-आयोजितः आर के अनुसार। 3 ((i) एक संगठन

अपने ज्ञापन में राजनीतिक उद्देश्यों को प्रकट किया है

संघ या उपनियम राजनीतिक प्रकृति का एक संगठन है।

-

चूंकि विधायिका का इरादा विदेशी धन को प्रतिबंधित करना है

सक्रिय राजनीति, घोषित राजनीतिक उद्देश्यों के साथ एक संघ (अर्थात। सक्रिय राजनीति या दल की राजनीति में भूमिका निभाना) नहीं हो सकता है

विदेशी निधियों तक पहुंच की अनुमति में कोई अस्पष्टता नहीं है प्रावधान और इसलिए, अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है - आर. 3 (आई) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है - आर. 3 (वी) किसानों के संगठनों से संबंधित है,

कार्यकर्ता, छात्र आदि जो किसी भी राजनीतिक संगठन से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं

पार्टी लेकिन जिसके उद्देश्यों में उन्नति की दिशा में कदम शामिल हैं

ऐसे समूहों के राजनीतिक हितों का-प्राप्त करने पर प्रतिबंध

सक्रिय राजनीति में शामिल लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहायता, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक संप्रभु के मूल्य

लोकतांत्रिक गणराज्य संरक्षित हैं-दूसरी ओर, जैसे कि

वे स्वैच्छिक संगठन जिनका कोई संबंध नहीं है

किसी भी दल की राजनीति या सक्रिय राजनीति के साथ प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है।

विदेशी योगदान के लिए-इसलिए, उन संगठनों में से

जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं

समाज को अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता है या

'राजनीतिक हित' शब्द के दायरे को बढ़ाकर नियम - आर में 'राजनीतिक हितों' की अभिव्यक्ति। 3 (v) के रूप में माना जाना चाहिए

सक्रिय राजनीति या दलगत राजनीति के संबंध में कोई भी

संगठन जो आदतन आम लोगों में खुद को संलग्न करता है या नियोजित करता है राजनीतिक कार्रवाई के तरीके जैसे 'बंद' या 'हड़ताल', 'रास्ता रोको',

' सार्वजनिक कारणों के समर्थन में 'रेल रोको' या 'जेल भरो' भी हो सकता है

राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित, के अनुसार

आर में निर्धारित दिशानिर्देश। 3 (vi)-बंद, हड़ताल आदि जैसे असहमति के वैध साधनों का सहारा लेकर सार्वजनिक कारणों का समर्थन करना।

किसी संगठन को प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।

विदेशी योगदान-प्रावधान से ही यह स्पष्ट है कि बंद, हड़ताल, रास्ता रोको आदि को आम तरीकों के रूप में माना जाता है।

राजनीतिक कार्रवाई-कोई भी संगठन जो बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे नागरिकों के एक समूह का समर्थन करता है।

या उद्देश्य को घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है राजनीतिक प्रकृति का संगठन-इस प्रावधान को बचाने के लिए

असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है, यह माना जाता है कि यह केवल वे हैं

सक्रिय राजनीति से जुड़े संगठन या संगठन

पार्टी राजनीति में भाग लेते हैं, जो आर द्वारा कवर किए जाते हैं। 3 (vi)।

क़ानूनों की व्याख्याः दो व्याख्याएँ-आयोजितः मामले में

भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v. किसी कानून के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा में अस्पष्टता।

न्यायालय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संसदीय बहसों और अधिनियम-विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011 के उद्देश्यों और उद्देश्यों से सहायता ले सकते हैं।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 को विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा योगदान या विदेशी आतिथ्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसदीय

राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों, राजनीतिक संघों, शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ अन्य व्यक्ति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के अनुरूप तरीके से कार्य कर सकते हैं। 1976 के अधिनियम में कई कमियों को देखते हुए, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के रूप में एक नया कानून बनाया गया था।

1976 के अधिनियम को निरस्त करना। 2010 के अधिनियम का लंबा शीर्षक इंगित करता है कि यह कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने और विदेशी योगदान या विदेशी निवेश की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कानून को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए आतिथ्य

और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए। [पारस 5-7] [912-जी; 913-ए-डी-जी; 914-ए]

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स v. भारत संघ

(2014) 209 डीएलटी 609 का उल्लेख किया गया है।

2. 2010 के अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में निर्दिष्ट करेगी जो एक राजनीतिक दल नहीं है जैसा कि 2010 में निर्दिष्ट किया गया है।

धारा 3 (1) (च) संगठन की गतिविधियों या संगठन या संघ द्वारा प्रचारित विचारधारा को ध्यान में रखते हुए

किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ संगठन का। धारा 5 (1) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा उन आधारों को निर्दिष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार कर सकती है जिन पर किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। धारा 48 (2) (डी) केंद्र सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने का अधिकार देती है, जिसमें उन आधारों को निर्दिष्ट किया जाता है जिन पर

संगठन को राजनीतिक संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा 5 (1) के तहत प्रकृति। [2020] 4 एस. सी. आर. के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए।

धारा 48, केंद्र सरकार ने विदेशी

योगदान (विनियमन) नियम, 2011। [पारस 8,9] [914-एफ-एच; 915-ए]

3. अधिनियम की धारा 3 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी योगदान को किसी उम्मीदवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों और प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित लोगों के अलावा चुनाव या किसी राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी और किसी भी विधानमंडल के सदस्य द्वारा। अधिनियम की धारा 3 (1) (च) में प्रावधान है कि राजनीतिक प्रकृति के संगठन को भी विदेशी प्राप्त करने से रोक दिया गया है। योगदान। राजनीतिक प्रकृति का ऐसा संगठन हो सकता है -

केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 (1) के तहत निर्दिष्ट। [पैरा 10] [915-जी-एच] 4. 1976 के अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन जो राजनीतिक दल नहीं है, स्वीकार नहीं करेगा।

राजनीतिक प्रकृति का संगठन, जो कोई राजनीतिक दल नहीं है, केंद्र सरकार संगठन की गतिविधियों या संगठन या संगठन के कार्यक्रम या संगठन के संगठन द्वारा प्रचारित विचारधारा को ध्यान में रखेगी। किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ संगठन। धारा 5 (1) अनुच्छेद 14 के प्रकोप को आमंत्रित करने वाली अस्पष्टता से ग्रस्त नहीं है। धारा 5 (4) को केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि किस प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, वह निर्दिष्ट नहीं है। अपीलार्थी संगठन द्वारा अधिनियम की धारा 5 (4) पर हमला करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। [पारस 11-13] [916-A-C-H; 917-A]

5. अपीलार्थी-संगठन अनुच्छेद 19 को लागू करने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी-संगठन का कोई भी सदस्य एक पक्ष के रूप में नहीं है। अनुच्छेद 19 'सभी नागरिकों' को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। अपीलार्थी, एक संगठन होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 19 के उद्देश्य के लिए नागरिक नहीं हो सकता है। किसी की अनुपस्थिति में

भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v. रिट याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में संघ के सदस्य।

अपीलकर्ता-संगठन संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को लागू नहीं कर सकता है। [पैरा 15] [917-ई-एफ]

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड बनाम द.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापत्तनम [1964] 4 एससीआर 99; बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम। भारत संघ (1972) 2 एससीसी 788 [1973] 2 एससीआर 757; टाटा इंजीनियरिंग

और लोकोमोटिव लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश राज्य (2011)

3 एससीसी 193: [2011] 3 एस. सी. आर. 134-पर निर्भर।

6. यह व्याख्या का स्थापित सिद्धांत है कि

निर्माण, जो अब व्याख्या का प्रमुख सिद्धांत है। कानून के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा में अस्पष्टता के मामले में, न्यायालय ऐतिहासिक से सहायता ले सकते हैं पृष्ठभूमि, संसदीय बहस, लंबे शीर्षक सहित अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य, और न्यायालय का प्रयास अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करना होना चाहिए। [पैरा 17] [918-ई-एफ]

के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970) 2 एससीसी 780: [1971] 2 एस. सी. आर. 446; चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। संघ

भारत का [1950] एस. सी. आर. 869; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड (2001) 4

एस. सी. सी. 139 [2001] 1 एस. सी. आर. 221-पर निर्भर था।

7. अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसदीय संस्थान, राजनीतिक संगठन और

शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को काम करना चाहिए।

विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य से प्रभावित हुए बिना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप तरीके से। अधिनियम का लंबा शीर्षक यह स्पष्ट करता है कि

विदेश की स्वीकृति और उपयोग का विनियमन

योगदान राष्ट्रीय हित की रक्षा के उद्देश्य से है। चुनाव और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को किसी भी विदेशी को स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

योगदान दें। विधायी इरादा राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी [2020] 4 एस. सी. आर. प्राप्त करने से प्रतिबंधित करना भी है।

योगदान। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक क्षेत्र में विदेशी योगदान को रोकना अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। के माध्यम से विदेशी योगदान की रोकथाम स्वैच्छिक संगठन जो दलगत राजनीति से जुड़े नहीं हैं, अधिनियम की धारा 3 (1) (च) और धारा 5 को लागू करने के पीछे का कारण है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है

की गतिविधियों, विचारधारा या कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए

संगठन, जिसमें किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने से पहले किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ संगठन का संगठन शामिल है, जो एक राजनीतिक दल नहीं है। नियमों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से संकेत मिलता है कि केवल वही संगठन जो राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं या राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, उन्हें राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित किया जा सकता है। नियम 3 (I) के अनुसार, एक संगठन जिसने अपने ज्ञापन में राजनीतिक उद्देश्यों को व्यक्त किया है

संघ या उपनियम राजनीतिक प्रकृति का एक संगठन है। चूंकि विधायिका का इरादा सक्रिय राजनीति में विदेशी धन को प्रतिबंधित करना है, इसलिए घोषित राजनीतिक उद्देश्यों वाले संगठन (यानी सक्रिय राजनीति या दल की राजनीति में भूमिका निभाने के लिए) को विदेशी धन तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं है और इसलिए इसे अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि नियम 3 (i) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। [पैरा 18] [918-जी; 919-ए-एफ]

8. नियम 3 (v) किसानों, श्रमिकों, छात्रों आदि के संगठनों से संबंधित है जो किसी भी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर संबद्ध नहीं हैं।

लेकिन जिनके उद्देश्यों में ऐसे समूहों के 'राजनीतिक हितों' की उन्नति की दिशा में कदम शामिल हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन यह है कि ऐसे संगठन आंदोलन कर रहे हैं

उनके वैध दावों को अस्पष्ट शब्द 'राजनीतिक हितों' का सहारा लेकर विदेशी धन तक पहुंच से नहीं रोका जा सकता है। यह कहना सही है कि 'राजनीतिक हित' शब्द अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हैं। हालांकि, सत्ता का संभावित दुरुपयोग किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं है। [पैरा 19] [919-जी-एच; 920-ए]

9. जहां किसी कानून के प्रावधान अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं और इसके इरादे को इकट्ठा करना संभव है

कानून के उद्देश्य से विधायिका, जिस संदर्भ में प्रावधान होते हैं और जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया जाता है, भारतीय सामाजिक अधिनियम मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v.

"नीचे पढ़ने" के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। नियम 3 (v) को असंवैधानिक घोषित होने से बचाने के लिए न्यायालय आवेदन कर सकता है।

विदेशी कोष तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के कानून और अधिकार। जिस उद्देश्य के लिए क़ानून राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है, वह यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन ऐसा नहीं करता है। विदेशी कोषों से प्रभावित। सक्रिय राजनीति में शामिल लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संप्रभुता के मूल्य

लोकतांत्रिक गणराज्य संरक्षित हैं। दूसरी ओर, ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिनके पास बिल्कुल नहीं है किसी भी दल की राजनीति या सक्रिय राजनीति से संबंध को विदेशी योगदान तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः इनमें से

राजनीति। [पारस 20,21] [920-ए-ई] 10. कोई भी संगठन जो आदतन खुद को राजनीतिक कार्रवाई के सामान्य तरीकों में संलग्न करता है जैसे 'बंद' या

‘ सार्वजनिक कारणों के समर्थन में हड़ताल ',' रास्ता रोको ',' रेल रोको 'या' जेल भरो 'को भी राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित किया जा सकता है।

बंद, हड़ताल आदि किसी संगठन को विदेशी योगदान प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान है कि बंद, हड़ताल, रास्ता रोक आदि को राजनीतिक कार्रवाई के सामान्य तरीकों के रूप में माना जाता है। कोई भी संगठन जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे नागरिकों के समूह का समर्थन करता है

बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित होने से बचाने के लिए, यह माना जाता है कि केवल वही संगठन हैं जो सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं या दलगत राजनीति में भाग लेते हैं, जो नियम 3 (vi) के दायरे में आते हैं। [पैरा 22] [920-एफ-जी; 921-ए] [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1964] 6 एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[1964] 4 एससीआर 99

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1973] 2 एससीआर 757

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2011] 3 एससीआर 134

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1971] 2 एससीआर 446

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1950] एससीआर 869

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2001] 1 एससीआर 221

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1510

2020 का

उच्च न्यायालय के 16.09.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 5793 में नई दिल्ली का न्यायालय।

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिमान श्रेष्ठ, कबीर दीक्षित,

सुश्री संजना श्रीकुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., शरत एन. नाम्बियार,

सुश्री इंदिरा भाकुर, विनायक शर्मा, सुश्री प्रियंका भट, वत्सल जोशी, श्रेकांतजी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अंकुर तलवार, देवाशीष भरूखा, कानू अग्रवाल, राहुल जाजू, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

1. अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की

इस घोषणा के लिए कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) और 5 (4) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 3 (i), 3 (v) और 3 (vi), अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं।

14 , 19 (1) (भारत के संविधान की धारा ए), 19 (1) (सी) और 21। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर इस अपील ने

दाखिल किया गया। अपीलार्थी एक पंजीकृत समाज है जो वैश्वीकरण का विरोध करने, सांप्रदायिकता का मुकाबला करने और लोकतंत्र की रक्षा करने में शामिल है। उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में, अपीलकर्ता-संगठन ने कहा कि वह एक धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में दृढ़ता से विश्वास करता है और सांप्रदायिकता और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित लोगों के जीवन और अधिकारों पर लक्षित हमलों का विरोध करता है। की कई गतिविधियाँ रिट याचिका में समाज के हित में अपीलकर्ता-संगठन का उल्लेख किया गया है। अधिनियम द्वारा केंद्रीय भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) को प्रदत्त शक्ति v.

अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने के लिए सरकार को अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं। अधिनियम की धारा 5 (4) पर इस आधार पर हमला किया गया था कि पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन को किस अधिकार को भेजा जाना है, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार, नियमों के नियम 3 में दिए गए दिशानिर्देश अपरिहार्य रूप से व्यापक हैं, जो अधिकारियों को मनमाना विवेकाधिकार देते हैं जिसके परिणामस्वरूप शक्ति का दुरुपयोग होगा। रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि नियम अनुचितता और मनमानेपन से ग्रस्त हैं। इसलिए, अपीलार्थी ने नियम 3 (i), 3 (v) और 3 (vi) को संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (a), 19 (1) (c) और 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का अनुरोध किया।

2. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया।

श्री पारिख को, नियम 3 (i), 3 (v) और 3 (vi) के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है असंवैधानिक क्योंकि वे अस्पष्ट, व्यापक और अनुचित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उक्त प्रावधानों में अस्पष्टता संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए शक्ति के मनमाने प्रयोग की ओर ले जाती है। उन्होंने

आगे प्रस्तुत किया गया कि एक संगठन, जिसकी गतिविधि नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शिक्षित और बढ़ावा देने के लिए है, को धन तक पहुंच से रोका नहीं जा सकता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी। विदेशी कोष तक पहुँच रखने में अपीलकर्ता-संगठन के अधिकार में कटौती के परिणामस्वरूप मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत अधिकार। उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा पर भरोसा किया, जिन्हें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा मानवाधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। Mr.Parikh ने प्रस्तुत किया कि राजनीतिक अधिकार मानवाधिकारों का एक अभिन्न अंग हैं और राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग में कोई भी प्रतिबंध असंवैधानिक होगा।

4. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का बचाव किया कि उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर सही निर्णय लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को केवल दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है जो विधायी हैं।

संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार की क्षमता और उल्लंघन। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक अधीनस्थ कानून को केवल इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है कि अधीनस्थ कानून अधिनियम के अधिकार से बाहर है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता संगठन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को लागू करने का अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है जिनकी गारंटी केवल नागरिकों को दी जाती है। अपीलकर्ता संगठन को नागरिक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, संगठन के किसी भी व्यक्तिगत सदस्य को रिट याचिका या इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस निवेदन के समर्थन में, उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। बिहार राज्य और श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसके अनुसार विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी, विदेशी योगदान प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है।

संविधान। हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के माध्यम से लिया गया था, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।

अधिनियम और नियमों में। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कानून को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि यदि इस न्यायालय की राय है कि नियमों के नियम 3 में अस्पष्टता है तो 'नीचे पढ़ने' के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।

5. वैधानिक व्यवस्था का उल्लेख करना अनिवार्य है। विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (इसके बाद '1976 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसदीय संस्थान, राजनीतिक संघ, शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठन के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य व्यक्ति भी इस तरह से काम कर सकें।

1 (1964) 6 एससीआर 885

2 (2011) 3 एस. सी. सी. 193 भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v.

भारत संघ [एल. नागेश्वर राव, जे.]

एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के अनुरूप। जिस पृष्ठभूमि में 1976 का अधिनियम बनाया गया था, उसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम में संक्षिप्त रूप से कहा है। भारत संघ 3 निम्नानुसार हैः

" यह सुरक्षित रूप से पाया जा सकता है कि हमारे राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित विध्वंसक गतिविधियों की एक श्रृंखला के बीच, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संसद द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 जैसे अन्य कानूनों के साथ मिलकर हमारे विधायी शस्त्रागार में ढाल के रूप में काम करने के लिए अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रीय जीवन के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे-पत्रकारिता, न्यायपालिका और राजनीति को बाहरी से अलग किया गया था।

प्रभाव हमारी सीमाओं से परे उत्पन्न होते हैं।

6. 1976 के अधिनियम में कई कमियों को देखते हुए, 1976 के अधिनियम को निरस्त करके विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के रूप में एक नया कानून बनाया गया था। अधिनियम की शुरूआत इस प्रकार हैः

" यह देखा गया था कि कुछ विदेशी देश व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों, चुनावों के उम्मीदवारों, संवाददाताओं, स्तंभकारों, संपादकों, मालिकों, मुद्रकों या समाचार पत्रों के प्रकाशकों को धन दे रहे थे। वे आतिथ्य भी दे रहे थे। इस तरह के वित्त पोषण और आतिथ्य के प्रभाव काफी ध्यान देने योग्य थे और इस तरह के वित्त पोषण और आतिथ्य पर कुछ नियंत्रण रखने और विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए थे।

संघ और शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठन साथ ही राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति एक के मूल्यों के अनुरूप तरीके से कार्य कर सकते हैं

संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य विदेशी योगदान

(विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) अधिनियमित किया गया।

7. 2010 के अधिनियम का लंबा शीर्षक इंगित करता है कि यह कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करने के लिए बनाया गया है और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। 3 (2014) 209 डीएलटी 609 [2020] 4 एस. सी. आर.

वहाँ तक। अधिनियम की धारा 3 निम्नलिखित द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति को प्रतिबंधित करती हैः

(क) चुनाव के लिए उम्मीदवार;
(ख) संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, मालिक, मुद्रक या पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक;

(ग) न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या किसी निगम या उसके द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी अन्य निकाय के कर्मचारी।

सरकार;

((घ) किसी भी विधानमंडल का सदस्य;

(ई) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी;

(च) केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट राजनीतिक प्रकृति का संगठन;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (आर) में परिभाषित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑडियो समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या वर्तमान मामलों के कार्यक्रमों के उत्पादन या प्रसारण में लगी संस्था या कंपनी या जनसमूह का कोई अन्य तरीका।

संचार;

(ज) खंड (छ) में निर्दिष्ट संवाददाता या स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, संघ या कंपनी का मालिक।

8. इसकी धारा 5 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में निर्दिष्ट करेगी, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जैसा कि धारा 3 (1) (च) में निर्दिष्ट किया गया है, संगठन की गतिविधियों या उसके द्वारा प्रचारित विचारधारा को ध्यान में रखते हुए।

किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ संगठन का संगठन या संगठन।

9. धारा 5 (1) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय

सरकार नियमों द्वारा उन आधारों को निर्दिष्ट करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर सकती है जिन पर एक संगठन को एक संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

राजनीतिक प्रकृति। धारा 48 (2) (डी) केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने का अधिकार देती है, जिसमें उन आधारों को निर्दिष्ट किया जाता है जिन पर किसी संगठन को धारा के तहत राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5 (1) . धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v.

सरकार ने विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011 बनाए।

नियम का नियम 3, जो इस मामले के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

" 3. किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का घोषित करने के लिए दिशानिर्देश, न कि राजनीतिक दल होने के लिए। - केंद्र सरकार कर सकती है

किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में निर्दिष्ट करें। या निम्नलिखित में से अधिक आधारः

((i) अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्रकट करने वाला संगठन।

संघ या उपनियमों का ज्ञापन;

((ii) कोई भी ट्रेड यूनियन जिसके उद्देश्यों में शामिल हैं -

राजनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना;

((ग) राजनीतिक प्रकृति के उद्देश्यों वाला या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाला कोई स्वैच्छिक कार्य समूह;

((iv) छात्र संघों जैसे मोर्चा या जन संगठन,

श्रमिक संघ, युवा मंच और महिला शाखा

एक राजनीतिक दल;

(v) जाति, समुदाय, धर्म, भाषा या अन्य आधार पर किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं का संगठन, जो किसी भी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर संबद्ध नहीं है, लेकिन जिनके उद्देश्य, जैसा कि संघ के ज्ञापन में कहा गया है, या अन्य भौतिक साक्ष्य के माध्यम से एकत्र की गई गतिविधियों में ऐसे समूहों के राजनीतिक हितों की उन्नति की दिशा में कदम शामिल हैं;

((vi) कोई भी संगठन, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जो

आदतन सार्वजनिक कारणों के समर्थन में 'बंद' या 'हड़ताल', 'रास्ता रोको', 'रेल रोको' या 'जेल भरो' जैसे राजनीतिक कार्यों में खुद को संलग्न करता है या सामान्य तरीकों का उपयोग करता है।

10. अधिनियम की धारा 3 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी

किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी द्वारा और न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों और प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित लोगों के अलावा किसी भी विधानमंडल के सदस्य द्वारा योगदान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस विवाद में

मामला उन संगठनों के इर्द-गिर्द घूमता है जो सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल नहीं हैं, अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है और

ऐसे संगठनों को नियंत्रित करने वाले नियम। अधिनियम की धारा 3 (1) (च) में प्रावधान है कि राजनीतिक प्रकृति के संगठन को भी प्राप्त करने से रोक दिया गया है। विदेशी योगदान। राजनीतिक प्रकृति के ऐसे संगठन को केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 (1) के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. 1976 के अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि कोई भी संगठन

एक राजनीतिक प्रकृति जो एक राजनीतिक दल नहीं है, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा कोई विदेशी योगदान स्वीकार नहीं करेगी। हालाँकि, 2010 के अधिनियम के अनुसार, राजनीतिक प्रकृति के संगठन, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, को विदेशी योगदान स्वीकार करने से रोक दिया गया है। द.

संगठन या संगठन के कार्यक्रम या संगठन के संघ द्वारा प्रचारित संगठन या विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ। केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 5 (2) के संदर्भ में बाध्य है कि वह उस संगठन को लिखित सूचना जारी करे जिसके संबंध में उस आधार (आधारों) के बारे में आदेश देने का प्रस्ताव है जिस पर धारा 5 (1) के तहत आदेश प्रस्तावित है। धारा 5 (3) के अनुसार, संगठन को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर धारा 5 में निर्धारित समय के भीतर विचार किया जाएगा और उसके कारणों को दर्ज करते हुए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

12. किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने के लिए दिशानिर्देश नियमों के नियम 3 में पाए जाते हैं। हम नियमों के नियम 3 (i), 3 (v) और 3 (vi) से संबंधित हैं, जो इस अपील में चुनौती का विषय हैं।

इसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका को बेलगाम और निरंकुश शक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए, अपीलकर्ता-संगठन ने तर्क दिया कि धारा 5 (1) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। धारा 5 (4) भी है इस आधार पर चुनौती दी गई कि किस प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण एक स्वतंत्र प्राधिकरण होगा या स्वयं केंद्र सरकार। उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक प्रकृति की गतिविधियों के साथ संबंध रखने वाले शब्द 'संगठन की गतिविधियाँ, संगठन द्वारा प्रचारित विचारधारा और संगठन के कार्यक्रम' व्यापक हैं, लेकिन इन्हें अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं कहा जा सकता है। संसद द्वारा धारा 5 में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान किया गया है और यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए है कि वह विशिष्ट आधार निर्धारित करे। हम अंदर हैं।

उच्च न्यायालय के साथ समझौता कि धारा 5 (1) भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v से ग्रस्त नहीं है।

अस्पष्टता का दोष अनुच्छेद 14 के क्रोध को आमंत्रित करता है। धारा 5 (4)

केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि किस प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, वह निर्दिष्ट नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी संगठन द्वारा अधिनियम की धारा 5 (4) पर हमला करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।

14. अपीलार्थी का तर्क है कि नियमों के नियम 3 में दिशानिर्देश अस्पष्ट हैं जो शक्ति के दुरुपयोग और दुरुपयोग की गुंजाइश देते हैं

नियम 3 में अस्पष्ट दिशानिर्देशों का सहारा लेकर कार्यपालिका की इच्छाएँ। अपीलार्थी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 3 में उपयोग किए गए शब्द 'राजनीतिक उद्देश्य', 'राजनीतिक गतिविधियाँ', 'राजनीतिक हित' और 'राजनीतिक कार्रवाई' में कोई स्पष्टता नहीं है और कोई गतिविधि नहीं है। दलगत राजनीति से जुड़े लोगों को नियम 3 के दायरे में लाया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता-संगठन के अनुसार, नियम 3 (i), 3 (v)

और 3 (vi) अति विस्तार के दोष से पीड़ित हैं और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। अपीलार्थी-संगठन के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।

नियमों के रूप में संविधान भी अनुचित है और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (सी) के तहत संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति और संघ बनाने का अधिकार।

16. अपीलार्थी-संगठन का प्रमुख तर्क यह है कि नियम 3 में दिए गए दिशा-निर्देश अस्पष्ट हैं और नग्न और स्पष्ट हैं। कार्यपालिका पर अनियंत्रित शक्ति जिससे [2020] 4 एस. सी. आर. के लिए गुंजाइश मिलती है।

शक्ति का मनमाना प्रयोग। के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ ने यह न्यायालय की राय थी किः

" 46. वास्तविक नियम यह है कि यदि कोई कानून अस्पष्ट है या ऐसा प्रतीत होता है,

जहाँ तक हो सके, न्यायालय को इसका अर्थ निकालने का प्रयास करना चाहिए और जिस निर्माण को उस पर रखने की मांग की गई है, वह अनुमति देने वाली भाषा विधानमंडल के इरादे के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार, यदि कानून विविध निर्माण के लिए खुला है, तो उस निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विधायिका के इरादे के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है और कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। जहाँ तथापि विधि स्वीकार करती है कि ऐसा कोई निर्माण नहीं है और इसे लागू करने वाले व्यक्ति

अनिश्चितता और कानून का असीम सागर प्रथम दृष्टया एक गारंटीकृत स्वतंत्रता को छीन लेता है, कानून को संविधान का अपमान करने के लिए माना जाना चाहिए, यह उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है।

अयोग्यता व्यक्ति के नुकसान के लिए कानून के दुरुपयोग की संभावना से उत्पन्न होती है। यदि संभव हो, तो न्यायालय कानून को निरस्त करने के बजाय जहाँ संभव हो वहाँ स्वयं सीमांकन की रेखा खींच सकता है, लेकिन यह प्रयास संयम से किया जाना चाहिए और केवल सबसे स्पष्ट मामलों में ही किया जाना चाहिए।

17. यह व्याख्या का स्थापित सिद्धांत है कि शब्दों को एक स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ देने के लिए क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए। लेकिन, यदि दो व्याख्याओं की गुंजाइश है, तो न्यायालयों ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो अब व्याख्याओं का प्रमुख सिद्धांत है। कानून के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा में अस्पष्टता के मामले में, न्यायालय ऐतिहासिक से सहायता ले सकते हैं

अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कानून के प्रावधानों की व्याख्या करना। (देखिएः चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ, (1950) एस. सी. आर. 869; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, (2001) 4 एससीसी 139)।

18. अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसदीय संस्थान, राजनीतिक संघ और शैक्षणिक और अन्य

स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को इस तरह से काम करना चाहिए

4 (1970) 2 एस. सी. सी. 780 5 शैलेश धैर्यवान बनाम। मोहन बालकृष्ण लुल्ला, (2016) 3 एस. सी. सी. 619 भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) बनाम।

विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य से प्रभावित हुए बिना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्य। अधिनियम का लंबा शीर्षक यह स्पष्ट करता है कि विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग का विनियमन राष्ट्रीय हित की रक्षा के उद्देश्य से है। चुनाव और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार या राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं -

किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित। विधायी उद्देश्य राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकना भी है। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक क्षेत्र में विदेशी योगदान को रोकना अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। स्वैच्छिक माध्यम से भेजे जाने वाले विदेशी योगदान की रोकथाम

संगठन सहित संगठन की विचारधारा या कार्यक्रम किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने से पहले किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के साथ संगठन, जो एक राजनीतिक दल नहीं है। नियमों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से संकेत मिलता है कि केवल वही संगठन जो राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं या राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, उन्हें राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित किया जा सकता है। हमारे विचार के लिए जो सवाल आता है वह यह है कि क्या नियम 3 में दिशानिर्देश अस्पष्टता और अस्पष्टता से ग्रस्त हैं और क्या उन्हें कार्यपालिका को अप्रमाणित शक्ति प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। नियम 3 (i) के अनुसार एक संगठन जिसने राजनीतिक शपथ ली हो।

इसके संगठन के ज्ञापन या उप कानूनों में उद्देश्य एक है

राजनीतिक प्रकृति का संगठन। चूंकि विधायिका का इरादा सक्रिय राजनीति में विदेशी धन को प्रतिबंधित करना है, इसलिए घोषित राजनीतिक उद्देश्यों (यानी सक्रिय राजनीति या दल की राजनीति में भूमिका निभाने) वाले संगठन को विदेशी धन तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है प्रावधान और इसलिए, इसे अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हम अपीलार्थी के इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि नियम 3 (i) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

19. नियम 3 (v) किसानों, श्रमिकों, छात्रों आदि के संगठनों से संबंधित है जो सीधे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं लेकिन

जिनके उद्देश्यों में ऐसे समूहों के 'राजनीतिक हितों' को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम शामिल हैं। अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि ऐसे संगठन अपने वैध दावों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

अस्पष्ट शब्द 'राजनीतिक हितों' का सहारा लेकर विदेशी धन तक पहुंच को रोका नहीं जा सकता है। हम इस बात से सहमत हैं कि शब्द 'राजनीतिक

हित अस्पष्ट होते हैं और दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। हालांकि, सत्ता का संभावित दुरुपयोग किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं है।

20. जहां किसी क़ानून के प्रावधान अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं और क़ानून के उद्देश्य से विधायिका के इरादे को इकट्ठा करना संभव है, जिस संदर्भ में प्रावधान होते हैं और जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया जाता है, वहां "पढ़ने" के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। नियम 3 (v) को असंवैधानिक घोषित होने से बचाने के लिए, न्यायालय "नीचे पढ़ने" के सिद्धांत को लागू कर सकता है।

21. जिस वस्तु की तलाश की जा रही है, उसके बीच संतुलन बनाना होगा।

विदेशी कोष तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के कानूनों और अधिकारों द्वारा प्राप्त किया जाना। जिस उद्देश्य के लिए कानून राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है, वह यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन विदेशी धन से प्रभावित न हो। सक्रिय राजनीति में शामिल लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों की रक्षा की जाए। दूसरी ओर, ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिनका किसी भी दल की राजनीति या सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उन्हें विदेशी योगदान तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे संगठन जो समाज के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें 'राजनीतिक हित' शब्द के दायरे को बढ़ाकर अधिनियम या नियमों के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। हमारा मानना है कि नियम 3 (v) में 'राजनीतिक हितों' की अभिव्यक्ति को सक्रिय राजनीति या दलगत राजनीति के संबंध में माना जाना चाहिए।

22. दिशानिर्देश के अनुसार, कोई भी संगठन जो आदतन सार्वजनिक कारणों के समर्थन में 'बंद' या 'हड़ताल', 'रास्ता रोको', 'रेल रोको' या 'जेल भरो' जैसे राजनीतिक कार्यों में संलग्न रहता है या सामान्य तरीकों का उपयोग करता है, उसे भी राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित किया जा सकता है।

नियम 3 (vi) में विहित। बंद, हड़ताल आदि जैसे असहमति के वैध साधनों का सहारा लेकर सार्वजनिक कारणों का समर्थन किसी संगठन को विदेशी योगदान प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यह.

प्रावधान से ही यह स्पष्ट है कि बंद, हड़ताल, रास्ता रोक आदि को राजनीतिक कार्रवाई के सामान्य तरीकों के रूप में माना जाता है। कोई भी संगठन जो बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे नागरिकों के समूह का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति के संगठन के रूप में घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान को बचने के लिए

6 सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम। नथेला संपथु शेट्टी, (1962) 3 एससीआर 786। 1 डीटीसी बनाम। मजदूर कांग्रेस, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 600 भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v.

जो नियम 3 (vi) के अंतर्गत आते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए, ऐसे संगठन जो सक्रिय राजनीति या दलगत राजनीति में शामिल नहीं हैं, वे नियम 3 (vi) के दायरे में नहीं आते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी धन के प्रवाह के लिए उपयोग किए जाने वाले संगठन अधिनियम की कठोरता से बच नहीं सकते हैं बशर्ते कि ठोस सामग्री हो। में। उस स्थिति में, केंद्र सरकार ऐसे संगठन को विदेशी योगदान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने से पहले अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेगी।

23. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।